

कल तक 5 2 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की बात थी

आज चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा बढ़ाकर 68 लाख कर दिया है

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 24 जुलाई। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रोशित है, और ऐसे में बिहार का एस आई आर (स्पेशल इन्टैसिव रिबीज़न) मुद्दा आने वाले दिनों में संसद में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि कांग्रेस केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि वह इस सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कराए।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि गैर-सरकारी माध्यमों एवं चैनलों के ज़रिए सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह इस पर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इस मामले में शामिल ही नहीं है। पूरा मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और सरकार इसके लिए न तो ज़िम्मेदार है और न ही जाबदेदा।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनावों का बहिष्कार करने का सुझाव दिया है, लेकिन इस पर अंतिम

- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी एनडीए व महागठबंधन में कुल सोलह लाख वोटों का अंतर था।
- विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, अगर विपक्ष ने यह मुद्दा पुरजोर ढंग से अभी नहीं उठाया तो चुनाव आयोग मतदाता सूची से नाम काटने का परीक्षण आसाम, पश्चिमी बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में दोहरायेगा।
- अतः कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि के दिलों को काफी उद्देलित कर रहा है।
- सरकार की सोच है कि अगर विपक्ष को कुछ शिकायत व आशंका है तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट/चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, किसी भी तरह से सरकार के अधीन काम नहीं करता। अतः सरकार किसी भी तरह चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

फ़ैसला इंडिया गठबंधन को सामूहिक रूप से लेना होगा और इसमें अभी समय

जो बात विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन गई है, वह यह है कि कल चुनाव आयोग ने इससे प्रभावित मतदाताओं की संख्या 52 लाख बताई थी, लेकिन यह आज बढ़कर 68 लाख हो गई है। इस आंकड़े में वे लोग शामिल हैं, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिनके नाम दो जगह हैं, आदि-आदि।

पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को मिले वोटों में मात्र 16 लाख का अंतर था, ऐसे में 68 लाख वोटों को हटाए जाने की बात विपक्ष के लिए वास्तव में बेहद गंभीर और खतरनाक है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर जोर नहीं देते हैं, तो मोदी और शाह की हिम्मत बढ़ेगी और वे अन्य राज्यों, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में यही रणनीति अपनाएंगे।

यही कारण है कि कांग्रेस के कई सहयोगी, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का देह शोषण करने वाले अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर, 24 जुलाई। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त शैतान और रविन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवांसिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने पीड़िता

- शोषण से पीड़ित युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी।

के साथ कई बार दुष्कर्म कर नैतिक रूप से अकल्पनीय अपराध किया है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीड़िता के पिता ने जेबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी ने उसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीसलपुर बाँध का एक गेट खुला

टोंक, 24 जुलाई। राजस्थान में स्थित बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया में भारी वर्षा के कारण पर्याप्त पानी भर गया है और अब यह डैम नीचे की ओर पानी छोड़ रहा है। पिछले 21 वर्षों में पहली बार जुलाई के महीने में डैम के गेट खोले गए हैं, क्योंकि जल स्तर बहुत अधिक हो गया है। पानी का स्तर 315.50 आर.एल. मीटर तक पहुँच गया, जिसके बाद जल निकासी के लिए गेट नंबर 10 को एक मीटर खोलकर 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई

- आमजन से नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है।

है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बीसलपुर बांध पेयजल के लिए जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। बीसलपुर सहित, जिले के अन्य लघु, वृहद् एवं मध्यम बांधों में भी पानी की अच्छी आवक होने से लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा तथा क्षेत्र में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाएं।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से 2030 तक व्यापार दोगुना होगा

इस एग्रीमेंट के तहत भारत का ब्रिटेन को निर्यात किया जाने वाला 99 प्रतिशत सामान “इयूटी फ्री” प्रवेश करेगा, जिससे टैक्सटाइल, जैम्स व ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि सैक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के उदारीकरण के बाद के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी व्यापार समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए), जो वर्षों से प्रक्रिया में था, में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, शुल्क बाधाओं को समाप्त करने और नई दिल्ली और लंदन के बीच आर्थिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इसका आर्थिक प्रभाव चौंकाने वाला है। वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर के आसपास रहने वाला द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। ब्रिटेन को इससे हर साल 25.5 अरब पाउण्ड का लाभ होने का अनुमान है, जबकि भारतीय निरमाता और सेवा प्रदाता प्रमुख क्षेत्रों में

- भारत में भी ब्रिटेन से आयातित जाने-माने सामान, स्कॉच व्हिस्की, जिन पर 150 प्रतिशत रेट से इयूटी लग रही थी, अब घटाकर 75 प्रतिशत कर देगा तथा अगले दशक तक यह “इम्पोर्ट इयूटी” 40 प्रतिशत हो जायेगी।

- इस प्रकार भारत द्वारा ब्रिटेन से आयातित लगज़री कारें, जैसे जैगुआर व लैंडरोवर, पर इम्पोर्ट इयूटी 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जायेगी।

- भारत के सर्विस सैक्टर को भी फ्री प्रवेश मिलेगा ब्रिटेन में। आईटी कंपनियों, फायनॅशियल सर्विसेज़, एजुकेशन, कंसल्टैंसी फर्म आदि को भी ब्रिटेन में काम करने की आज़ादी मिलेगी। अब तक भारतीय प्रोफेशनलस के समक्ष ब्रिटेन के सोशल सिक्युरिटी पैमेंट की भारी समस्या थी। ब्रिटेन ने इन प्रोफेशनलस को छूट देने की घोषणा भी की है, कि पहले तीन साल उन्हें सोशल सिक्युरिटी के लिये कुछ योगदान करने का बंधन नहीं रहेगा।

महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह

समझौता केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर नज़र है अखिलेश की

इस वोट बैंक को रिझाने के लिए अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं

- सावन मास में हर सोमवार वे सैंफई गाँव में स्वयं द्वारा बनवाए जा रहे शिव मंदिर का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के नाम पर केदारेश्वर धाम रखा गया है।

- मंदिर के नाम को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ अखिलेश की साजिश बताया।

- अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो स्वयं को हिंदुत्व का सबसे ताकतवर “आईकन” मानते हैं।

प्रतीकों का प्रयोग उन हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगा, जिनका भाजपा से मोह भंग हो गया है, तथा इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोटबैंक उनके साथ बना रहेगा।

2024 के लोकसभा चुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी) फॉर्मूले की सफलता

ने अखिलेश यादव को यह विश्वास दिला दिया है कि वे अपनी राजनैतिक पहुँच को अपनी पारम्परिक सीमा से आगे ले जा सकते हैं।

‘सॉफ्ट हिन्दुत्व’ में उनके प्रवेश की कोशिश हाल ही में साफ तौर पर दिखाई दी है तथा सावन के पवित्र महीने में उनकी इन कोशिशों ने और गति पकड़ ली है। वे सावन के हर सोमवार (जो

भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है), जो शिव मंदिर से संबंधित वीडियो साझा कर रहे हैं।

ये वीडियो किसी अन्य मंदिर के नहीं, बल्कि उसी मंदिर के हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इटावा जिले के लुहना गांव में, उनके पैतृक स्थान सैंफई के पास, बनवाया जा रहा है।

जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में यादव समुदाय के जलाभिषेक कार्यक्रम में उनकी गैरहाज़िरी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, वहीं यह समझा जा रहा है कि वे भाजपा की हिंदुत्व शैली में ढलने की बजाय, अपनी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाना चाहते हैं।

यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और मंदिर के पुनरुद्धार को मोदी की धार्मिक विरासत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज निर्णय होगा उदयपुर फाइल्स रिलीज़ पर

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर बनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए या नहीं, उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद आदेश पारित करेगा।

न्यायमूर्ति सुर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को संबंधित पक्षों की दलीलों विस्तार

- उदयपुर फाइल्स पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

पूर्वक सुनने के बाद कहा कि कल इस मामले का निपटारा किया जायेगा। फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने में हो रही देरी के विरोध पर पीठ ने कहा, आपने सही इंतज़ार किया है, क्योंकि कानून यही चाहता है। मुद्दा यह है कि क्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भागवत ने 40 मौलानाओं के साथ मीटिंग की

नई दिल्ली, 24 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की गुरुवार को हरियाणा भवन में 40 मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई। बैठक ड आई घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम

- बैठक में जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए, उन्होंने कहा कि गत 100 साल में पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई है।

धर्मगुरु शामिल हुए। यह बैठक संघ की दूसरे समुदायों के साथ मेल-मिलाप की कोशिशों की एक कड़ी थी।

आरएसएस प्रमुख के साथ हुई बैठक के बाद लखनऊ से आए टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैय्यद फ़ज़लुल्ले मख़ान रहमानी ने कहा कि बीते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जब पैसा बोलता है तब सत्य मौन रहता है। –कहावत

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत के भाग्य विधाता बने

बिहार में निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव अक्टूबर-नवम्बर में हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक उचित जाँच के बाद लोगों के नाम जो मतदान करने के अधिकारी पाये गये उनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट (Update) करने के तथा अवैध तथाकथित मतदाताओं को हटाने के लिये शुरू की गई है।

अधिकारियों द्वारा गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया है नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार के सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं और इनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे कई प्रकार के पहचान पत्र हैं। ये कागजात गलत तरीके से प्राप्त किये गये हैं। अतः इनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। अधिकारीगण बूथ लेवल पर घर-2 गये हैं और उन्होंने जांच की है। आयोग को सूचना के आधार पर यह भी जानकारी उपलब्ध है कि 80.11: मतदाता (करीब 6.32 करोड़) ने अपने ईएफ (एन्युमरेशन फार्म) जमा करा दिये हैं। 18 लाख मृत वोटर्स पाये गये। 7 लाख वोटर्स का नाम दो जगह दर्ज है। ताजा समाचार के अनुसार 97: काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पूर्व यह स्पष्ट किया है कि बिहार की तरह सभी राज्यों की विधान सभाओं की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयत्न होगा कि देश की मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक नहीं रहना चाहिये।

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा चल रही है जो एक वैधानिक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय खण्डपीठ के समक्ष इस प्रक्रिया की वैधानिकता को कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी है। सुनवाई के समय इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना पिटीशनरों की ओर से की गई थी; किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने यह कहकर प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि चुनाव आयोग वैधानिक संस्था है और उसके कार्य को रोकना जाना कोर्ट उचित नहीं समझ रही है।

माननीय कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की बहस चल रही है जिसमें कई संवैधानिक व वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण किया जाना चुनाव आयोग का दायित्व है। पिटीशनर्स की ओर से उक्त प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं। एक आपत्ति यह उठाई गई है कि जब मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम है जो पहले भी वोट दे चुका है तो उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। यह भी आपत्ति की जा रही है कि अधिकारीगण जाँच घर-2 जाकर नहीं कर रहे हैं ऑन लाईन फार्म के लिये अवैध वसूली हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे महाराष्ट्र की तर्ज पर चोरी या चुनाव चोरी की कोशिश बताया है। राजव के नेता तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव ने इसे गरीब दलित व प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकारों को छीनने का कोशिश माना है। कई लोगों का कहना है कि अभिप्राय मतदाता सूची को शुद्धता का नहीं है अपितु सत्ताखंड एनडीए को लाभ पहुंचाने का है।

मूल बहस जो चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है वह दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है। प्रथम चुनाव आयोग के अधिकार पर जो उसे संविधान ने अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से दिये हैं। दूसरा बिन्दु है मताधिकार का आधार जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। इसका पूर्ण विवेचन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण (uperintendence), निर्देशन (Direction) व नियंत्रण (Control) चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का ओर उन सभी के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग (Election Commission) कहा गया है।

इसका अभिप्राय है चुनाव आयोग को चुनाव कराने, निर्वाचक नामावली (Electoral Rolls) बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अर्थात् निर्वाचन (Election) के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में माना है कि चुनाव आयोग को चुनावों के सम्बन्ध में न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं।

हमें यहाँ तो स्वीकार करना ही होगा कि चुनाव आयोग संविधान के तहत चुनावों की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में एक संवैधानिक संस्था है और नागरिक होने के कारण उनका यह मूल कर्तव्य है कि वे इस संस्था का सम्मान करें आदर करें। संविधान के अनुच्छेद 51(क) में स्पष्ट घोषणा है कि “भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर करे”।

चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक हैं या नहीं। अर्थात् संविधन के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं।

किन्तु भारत की राजनीति में संस्थाओं के प्रति आदर कहीं खो गया है।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत निर्णय करने का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। आपत्ति केवल यह है कि वे संविधान के भाग-2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारत

के नागरिक नहीं हैं। संविधान के अनुसार मतदान को अधिकार केवल भारत के नागरिक को है। इस विषय पर चर्चा के लिये, आईये, हम यह जाने कि संविधान के भाग-2 के अनुवसर भारत का नागरिक कौन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किया है। कानून है नागरिकता अधिनियम, 1955 और दूसरा के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीसीए)।

भारत की नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है:-

(1) जन्म से नागरिकता - 26 जनवरी 1950 में 01.07.1987 के मध्य भारत में पैदा हुये व्यक्ति। 1 जुलाई 1987 से 12 दिसम्बर 2024 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता-पिता में से कम से कम एक एक भारतीय हो। 06.12.2024 के बाद जन्मे होने पर एक माता-पिता भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिये।

(2) वंश के आधार पर - यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता-पिता भारत के नागरिक हैं तो वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है।

(3) पंजीकरण द्वारा - भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के विवाहित विदेशी नागरिक या जो कुछ वर्षों से भारत में रह रहे हों वे आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

(4) By Naturalization (विदेशी) जो भारत में 12 वर्षों से रह रहे हैं (11 वर्ष आवेदन से ठीक पहले 1 वर्ष)

(5) राज्य के भारत में विलय के कारण।

इससे स्पष्ट होगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा वोटर लिस्ट में नाम होने मात्र से वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 व उसके नियम बिहार के उपरोक्त तथाकथित मतदाताओं पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत आये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिककरण की अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष करता है।

रिट याचिकायें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ में जेरकार हैं और जिनमें माननीय न्यायालय गम्भीरता से दोनों पक्षों की बहस सुन रहा है, कानून की स्थिति के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है और वह भारत का नागरिक, संविधान तथा नागरिकता अधिनियम के दिये गये मानदण्डों के अनुसार नागरिक है। चुनाव आयोग आपत्ति कर रहा है कि बिहार के वे तथाकथित मतदाता तथा जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के लोग हैं, उन्हें वह मतदाता अर्थात् भारत देश में मतदान करने का अधिकारी नहीं मानता। हाँ, यदि वे कुछ मांगे गये दस्तावेजात पेश करें और संतोष करा दे तो वह आपत्ति उठा लेगा या वे नागरिकता के मामले को नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय से तय करा लेंवें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। कि वे भारत के नागरिक हैं उन्हें देश का नागरिक मान लेना और मतदान का अधिकारी मानकर मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो जावेगा।

दूसरा प्रश्न और भी है वह है Estoppel keâe efkeâvleg Estoppel का नियम कानून के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता।

बहस के दौरान यह सभी पक्षों ने माना है कि मतदान का अधिकार केवल देश का नागरिक ही को है। जो व्यक्ति (मतदाता) अपना नाम वोटर लिस्ट में बतलाने अथवा आधार कार्ड व राशन कार्ड उनके नाम होने के कारण अपने को मतदान का अधिकारी मानता है, उसकी वैधता बाबत जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। उसे गृह विभाग के मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।

इस विवाद का एक पहलू और भी है। हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का अधिकार केवल मात्र देश के नागरिक को है अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को है। प्रस्तुत केस तथाकथित मतदाताओं में से किसी ने दायर नहीं किया है। अतः यह प्रश्न भी माननीय कोर्ट के समक्ष रखना चाहिये कि याचिकायें सुनवाई के योग्य ही नहीं हैं। सिक्किम के भारत में विलय को लेकर सिक्किम के पूर्व शासक विलय की वैधता को सिक्किम हाईकोर्ट में चुनौती दी, उस समय जस्टिस श्रीमाल एन एल सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। केस उनकी पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीमाल ने आपत्ति की थी कि भारत का नागरिक ही रिट याचिका पेश कर सकता है, अन्य नहीं। सुनवाई उसी समय की जायेगी जब पिटीशनर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह भारत का नागरिक है। शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया।

देश इसे स्वीकार नहीं करेगा कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत का भाग्य विधाता बने। सबको सम्पत्ति दे भगवान!

–**अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**

हरियालो राजस्थान: हरित समृद्धि की ओर ले जाने का मुख्यमंत्री का संकल्प



रचना सिद्धा

आज विश्व अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है प्राणी और वनस्पति जात के बीच का असंतुलन। आबादी की बेतहाशा बढ़ोतरी और प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता ने इस संतुलन को बिगाड़ा है जिससे हमारे सामने आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल के कटते रहने से मानव सभ्यता को ही खतरा पैदा हो गया है। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धरती के कुछ भाग या तो सालों तक सूखे रहते हैं या फिर वहां भयानक बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में भूस्खलन और ग्लेशियर का पिघलना भी प्रकृति के इसी अतिदोहन का परिणाम है। वन और पानी किसी भी समाज के लिए सबसे आवश्यक हैं। अगर ये विलुप्त हो जाएं त्राहिमाम मच जाए और सभ्यता का विनाश हो जाए।

जीवन की दृष्टि से पर्यावरण मानव के लिए सर्वोच्च जरूरत है। जल, जंगल और जमीन तीनों उसके प्रमुख आधार हैं। लेकिन आधुनिकता और विलासिता की दौड़ और सबसे आगे निकल जाने की लालच में बढ़ते प्रदूषण ने जीवन के इन तीनों आधारों

को हमसे छीन लिया है जो कि हमारे आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज की एक बहुत बड़ी विफलता है। यही वजह है कि आज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा स्वच्छ और सुरक्षित पानी, शौचालय तथा शुद्ध हवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इस दिशा में समाज और सरकार को स्वच्छता और वृक्षारोपण को एक जनान्दोलन बनाने की तरफ सोचना होगा जिसके लिए समाज की सहभागिता होना पहली और आवश्यक शर्त है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बहुत गंभीरता से लेते हुए वृक्षारोपण को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए नई दिल्ली के बुद्ध पार्क में पीपल का एक पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी मां के साथ मिलकर अथवा उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह पेड़ उनकी तरफ से उनके लिए एक अनमोल उपहार होगा।

प्रधानमंत्री के इस अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को संकल्पित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू जिले के गहोता में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया और पांच वर्षों में राज्य में 50 करोड़ तथा वर्ष

2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखना है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण तथा वन्यजीवों के लिए बेहतर पारिस्थिति की तंत्र तैयार करने में स्थानीय समुदायों की जागरूकता बढ़ाते हुए अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना भी हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सरकार ने पांच वर्षों में राज्य में पचास करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश में अभियान के पहले चरण में प्रदेश में सात करोड़ पौधे लगाए गए जिसका वर्ल्ड रिकार्ड भी बना। अभियान की आगे बढ़ाते हुए अब हरियालो राजस्थान के दूसरे चरण में दस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए हरियालो राजस्थान नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। लगाए गए हर पौधे की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिएइस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है।

इस अभियान ने नवाचार, आधुनिक तकनीक और जन सहभागिता के माध्यम से जनआंदोलन का रूप ले लिया है। इसी क्रम में नदियों के किनारों, औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के आसपास, विद्यालयों, अस्पतालों तथा नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस अभियान में सामाजिक संगठनों,



शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनके माध्यम से अभियान को जनसामान्य से जोड़ा गया और यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम न होकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृवन बनाए जा रहे हैं जहां नागरिक अपने परिवारों की स्मृति में वृक्ष लगाकर प्यांवरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

आज हम जिस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं उसके पीछे वनों को कटाई एक प्रमुख कारण है। इसके कारण पिछले कुछ समय में मानव जाति को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने जिस अभियान की शुरुआत कर दी है वह न केवल वनों और हमारे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी तैयार करेगा। लेकिन यहां बहुत ध्यान रखने की बात यह भी है कि जो पौधे या पेड़

लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल कितने समय तक की जाती है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किनको दी जाती है। क्योंकि यहां आंकड़े दिखाते भर के लिए पौधे लगाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 पेड़ लगाने वाले को वृक्ष मित्र बनाया जाएगा। 2 हजार वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य बहुत महान है हमें अपने पर्यावरण को बचाना है उसे सुरक्षित करना है। इसलिए जितने उत्साह और जितनी तत्परता से हम पौधे लगा रहे हैं उन पौधों को जीवित रखने के लिए, उन पौधों को जीवित रखकर उन्हें बड़ा करने के लिए उससे भी अधिक उत्साह, तत्परता और परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि हम सब बड़ी जिम्मेदारी से इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान को संकल्पना को साकार करने की यात्रा के सहभागी बनेंगे।

–**रचना सिद्धा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी**

योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे : राज्यपाल बागड़े

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बालोतरा पहुंचे, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली

बालोतरा, (निर्सं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौर पर बालोतरा पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर पुलिस दल ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके पश्चात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए वंचितों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे और वास्तविक जरूरतमंद वरग संशक्त हो सके।

राज्यपाल ने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ



बालोतरा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

प्राथमिकता से देने को कहा। बैठक के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कुसुम योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता

राज्यपाल ने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ

को एक साथ विकसित किया जाए। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और छात्रावासों में न्यायामशाला एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्यपाल बागड़े ने ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहा जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा और सार-संभाल भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कम जल आवश्यकता वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने को कहा ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जल संरक्षण भी संभव हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की समीक्षा करते हुए जल संचयन एवं भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में स्थानीय समाधान अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में वर्षा जल का संचयन उसी गांव में हो और वह व्यर्थ बहकर न जाए, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ग्रामीण घर में शुद्ध पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। यह केंद्र सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है और इसकी शत-प्रतिशत सफलता जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए और प्रत्येक महिला को

उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल बागड़े ने कृषि विभाग को मुदा परीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकतम किसानों को जोड़ने, वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने, फार्म पॉन्ड निर्माण, फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण बढ़ाने और उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हेतु तकनीकी मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टोस अपशिष्ट निस्तारण की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने जैविक खाद निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा इसे किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे स्वच्छता के साथ कृषि को भी लाभ हो। राज्यपाल बागड़े ने अंत में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य नागरिक को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर नजर आएँ।

बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. डॉ. सुषी सोनी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, पंचपरदा विधायक डॉ. अरुण चौधरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।



मेघ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक व्यक्तित्गत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।



धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।



वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।



कन्या

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।



मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण-प्रभाव बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।



तुला

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



कुंभ

व्यावस्थ संबंधित चिन्ता दूर रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्यों योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।



मीन

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

सार-समाचार

कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां से मारपीट की

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपनी बुजुर्ग मां से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी बेटे दीप मेहरा को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालाँकि, इस दौरान जब वह मारपीट करने पहुँचा तब मौके पर मौजूद महिला ने इसका पूरा वीडियो बना लिया। इस मामले की जांच कर रहे एएसआई उदय सिंह का कहना है कि आरोपी को रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायालय में भी पेश किया गया था। फिलहाल उसे जमानत मिल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी अपनी मां की पिटाई कर रहा है। वहां पर मौजूद छोटे भाई की पत्नी बीच-बचाव कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी नहीं माना और बुजुर्ग को लात-धुँसों और चप्पल से मारता रहा, घटनाक्रम 20 जुलाई का बताया जा रहा है। पड़ोसियों और परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने घर में घुसकर चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए चोरी की आरोपी को गिरफ्तार किया। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 21 जुलाई को फरियादीया सनमन ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 18 जुलाई की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर नकदी व जेवरात चोरी करके ले गया है। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादीया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। थानाधिकारी ने बताया कि शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने मुखबरी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए किशोरपुरा निवासी रवि मिश्रा (40) को डिटेन कर पूछताछ के बाद मकान में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से चोरी किया गया माल भी बरामद किया, आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान जारी है।

आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला किया

कोटा, (निसं)। रामपुरा इलाके में आवारा कुत्तों ने सड़क पर खेल रही डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने दादा के साथ सड़क पर खेल रही थी, तभी अनाकत से आवारा कुत्तों का झुंड आया और बच्ची को मुंह में दबोच कर काफी दूर तक घसीटता ले गया। कुत्तों के हमले से बच्ची की पीठ पर घाव हो गये। बाद में दादा व अन्य लोगों की मदद से बच्ची को बचाकर उपचार के लिये निजी अस्पताल में ले जाया गया। मामला रामपुरा इलाके के गुलाबबाड़ी का बताया जा रहा है।

दुकानों का निरीक्षण किया

रामगंजमण्डी, (निसं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित अपात्र परिवारों, व्यक्तियों को अपना नाम स्वेच्छा से पात्रता सूची से हटायें जाने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2024 से अभियान चलाया जा रहा है। कोटा जिले में प्रगति बहुत कम है। जिससे पात्र लाभार्थी उक्त योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है। सीडिआ व ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदारों को प्रोत्साहित करने हेतु शुक्रवार को संदीप माथुर सहायक आयुक्त (द्वितीय) खाद्य विभाग कोटा द्वारा 24 जुलाई गुरुवार को रामगंजमण्डी में उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग ली व दुकानों का निरीक्षण किया गया।

राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अवगत कराया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा दक्षिण विधानसभा के तीन राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया।

नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनन्तपुरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरएसी कॉलोनी के विद्यार्थियों को स्कूल बैग का वितरण किया गया एवं देशप्रेम की भावना से राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में लगभग 10 हजार स्कूल बैग वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर बच्चों से पढ़ाई, उनके सपनों, उनके खेल और जीवन की छोटी-मोटी बातों पर संवाद हुआ। बच्चों की शिक्षा और उनके सुखद



कोटा दक्षिण विधानसभा के तीन राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया।

भविष्य के लिए यह छोटा सा प्रयास बच्चों की मुस्कान में हमारे कार्य की सार्थकता दिखाता है। सभी विद्यार्थियों से मिलकर उन्हे भविष्य में निरंतर आगे

बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा पार्षद योगेन्द्र खींची, गोपाल राम मंडा, योगेश आहलुवालिया, पुष्पा कुमारी चौधरी, कई समाजसेवी उपस्थित रहे।

सभी तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक, भाजपा कार्यकर्ता राजेन्द्र खण्डेलवाल, सत्यनारायण विजय एवं

तीन किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित दो गिरफ्तार



केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की कार्यवाही

मगर, संदिग्ध व्यक्तियों ने बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मौके पर मौजूद सीबीएन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके वाहन की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान टीम ने कपड़े के थैले में रखी 3.112 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की। टीम ने कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, अवैध बरामद अफीम और मोटरसाइकिल को जब्त किया और एन्डोपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की।

गैर और टीम को रवाना किया गया। गठित टीम ने कड़ी निगरानी के बाद,

संदिग्ध वाहन और उक्त व्यक्तियों की पहचान करने के बाद उन्हें रोक लिया

‘छबड़ा में खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए बनेगा स्टेडियम’

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी के प्रयासों से आठ कस्बे में सुविधायुक्त व भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। प्रथम चरण के कार्यों के लिए निविदा भी जारी कर दी है।

लम्बे अरसे से की जा रही थी मांग:- खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए लम्बे अरसे से मांग की जा रही थी। लेकिन यह मांग अब पूरी होती दिख रही है। स्टेडियम के बनने से कस्बे सहित ग्रामीण अंचल के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में खेलों के लिए कोई भी पर्याप्त जगह न होने के कारण युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए पर्याप्त सुविधा के अभाव में

सही मंच पर नहीं पहुँच पाते हैं। जाहिर है कि जब युवाओं को खेलने के लिए पर्याप्त सुविधा मिलेगी तो यहां खेल रहे फुटबॉल, क्रिकेट, बॉडी कण, 100 फीट ऊंचा का तिरंगा सहित अन्य निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। उक्त कार्य नगर पालिका द्वारा करवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के बनने से छबड़ा व तहसील क्षेत्र के युवाओं व

परिवार का सदस्य मानकर वृक्षों को सहेजें : दिलावर

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश में चलाया रहे हरयालो राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम कोटा दक्षिण और उत्तर की ओर से सघन वृक्षारोपण किया गया है।

इस अवसर पर वृक्षारोपण करने के बाद प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच वृक्षारोपण की महती आवश्यकता है। हम स्वयं को वृक्षा लगाने तक सीमित नहीं रखें बल्कि वृक्षों को अपने परिवार के सदस्य की तरह सहेजें। हाड़ौती उद्यान में पौधारोपण करते हुए उन्होंने कहा कि हरयालो राजस्थान अभियान आज एक जन अभियान का स्वरूप ले चुका है। हम सभी 'एक पेड़ मां के नाम' लगाते हुए प्रकृति के प्रति भी अपने उत्तर दायित्व पूरे कर रहे हैं। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रकृति ने हमें अनेक अनुभू संसातों दी हैं। लेकिन वर्तमान में प्रकृति का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए

ट्रेक्टर चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद चोरी किये गये ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि 5 जुलाई को फरियादी भरतलाल ने नान्ता थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि वह

नान्ता रिको एरिया में ईंटों की फैक्ट्री में किराये के ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंटों की सप्लाई करने का काम करता है। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि 3 जुलाई को उसके ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर को विजय एस्टेटा फैक्ट्री में खड़ा करके फैक्ट्री में बने कमरे पर चला गया और अगले दिन सुबह देखा तो ट्रैक्टर वहां नहीं था। पुलिस ने फरियादी को रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

 Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office, Gandhinagar, A Wing- 407 & 409, "Aranya Bhawan", NearCh-3Circle, Sector-10a, Gandhi Nagar-382010 Email: iro.gandhingar-mefcc@gov.in Online Proposal No.: FPR/J/ROAD/488258/2024 Dated: 01/07/2025 To, Principal Secretary(Forestand Environment), Department of Forest and Wildlife VanikiPath, NearSecretariat Jaipur-302005 (Rajasthan) 	
Subject: Proposal for non-forestry use of 0.79 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 in favour of M/s EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN) Sir/Madam, This is in reference to the online proposal No. FPR/J/ROAD/488258/2024 dated 17/07/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section" 2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office as per extant rules and regulation. After the examination, the undersigned directed toconvey the "In-Principle/Stage-1" approval of the Central Government under section 2' of the Van(SanrakshanEvamSamvardhan)Adhinyam, 1980 forthe Proposalfornon-forestryuseof0.79 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 in favour of M/s EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions: 1. General Conditions.	
S.No. Conditions 1.1 Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged 1.2 Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land Thenon-forestlandidentifiedforraisingcompensatoryafforestation shallbetransferredand mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance 1.4 The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notifiedbythe State GovernmentasFunder Section-4ofUnderSection-29oftheIndianForest- 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period tothe Act, Central Government for information and record 1.5 ThealandidentifiedforthepurposeofCAshallbeclearlydepictedona Surveyofindiatoposheetof 1:50,000 scale 1.6 The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years 1.7 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard 1.8 At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India 1.9 All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc C&MPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned 1.10 TheUserAgencyshallobtaintheEnvironmentClearanceasperthe eprovisionsoftheEnvironmental (Protection) Act, 1986, if required 1.11 The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar 1.12 The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report 1.13 No labour camp shall be established on the forest land 1.14 TheUserAgencyshallprovidefuelspreferablyalternatetfu elstotheLabourersandthestaffworking at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas 1.15 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal 1.16 Thelayoutplanoftheproposalshallnotbechangedwithouttheprior approvalofthe Central Government 1.17 Theforestlandproposedtobedivertedshallundernocircumstances be trans ferredtoanyother agency, department or person without prior approval of the Central Government 1.18 No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused 1.19 Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision ofthe State Forest Department 1.20 The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF 1.21 The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the awifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project 1.22 The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State 1.23 The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year 1.24 Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife 1.25 The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project 1.26 Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015 1.27 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.0 ha DFL, Compartment/ Khassa/Survey No. 1457, Village- Kishanganji, Tehsil-Kishanganji, District-Baran of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided 1.28 User agency shall restrict the felling of trees to 11 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department 1.29 If the proposed area is part/out side of any Wildlife Sanctuary/National Park, user Agency shall be obtained Wildlife Clearance from competent authority as per the provisions of the extant, rules and regulation. If required 2.1 The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and centralverge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side ofthe road before final clearance. 2.2 The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed. 2.3 Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes. 2.4 Theuseragencywillprovidetoretainingwallsbreastwallsanddrainage asperrequirementto make the slope stable. 2.5 The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report 2.6 The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/ canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	
3. Specific Conditions After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will beconsideredforfinalapprovalundersection2ofthe Van(SanrakshanEvam Samvardhan) Adhinyam, 1980.TheUser Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar, Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further,itmayalsobenotedthathisin-principle/Stage-Iapprovalshallbevalidfora periodof2yearsfromthedatedofissue of the letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years. Your's faithfully (Shrawan Kumar Verma) Regional Officer/HeadofDepartment Regional Office, Gandhinagar MoEF&CC, Govt of India DIPR/C/10356/2025	

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीन रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु आवश्यकतानुसार क्रमांक एफ 3 (50) यूपीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के विनियम सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का रैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अज्ञात एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस को अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नोट:- उक्त पूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पञ्चाली निरस्त कर दी जावेगी।
अधिशायी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/क्रि.क्र./2025/2071	दिनांक:-18.07.25
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना सौंप नगर (शंभूपुरा ग्रोथ सेक्टर एकीकृत योजना) आवासीय का भूखण्ड/आवास संख्या 81 का आवंटन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 29.05.2023 को श्री शोषन अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल नगर (शंभूपुरा ग्रोथ सेक्टर एकीकृत योजना) आवासीय की रजिस्ट्री जर्नल मुख्तारआम श्री अरिहन्त धारीवाल पुत्र श्री राकेश कुमार धारीवाल द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।	
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा विन्याद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 81 योजना सीमा नगर (शंभूपुरा ग्रोथ सेक्टर एकीकृत योजना) आवासीय की रजिस्ट्री स्वीकृती श्री शोषन अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश कुमार अग्रवाल जर्नल मुख्तारआम श्री अरिहन्त धारीवाल पुत्र श्री राकेश कुमार धारीवाल के नाम जारी कर दी जावेगी।	

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एस-15/क.भू.क्र./2025/764	दिनांक:-24.07.2025
सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुहाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मण विहार-II खसरा नं. 375 व 375/450 फी. में स्थित पूखंड संख्या 80 आवेदक/आवेदिका श्री कृष्ण कुमार पारोता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पारोता निवासी मुक्ति मार्ग नयापुरा कोटा पुर, द्वारा औनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त पूखंड का पट्टा क्रमांक 4267 दिनांक 22.07.2006 को जयसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त पूखंड का बैचान जर्नल रॉफ. विवरण पत्र दिनांक 19.09.2011 को जर्नल मुख्तारआम विनोद कुमार गोयल पुत्र श्री जैन प्रकाश गोयल द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।	
अतः श्री कृष्ण कुमार पारोता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पारोता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। भिप्राय गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।	
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा	

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

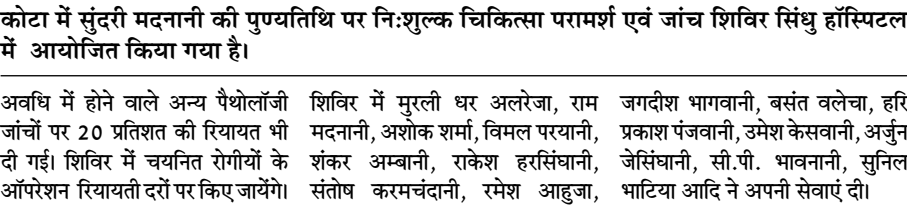
कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा	आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भारत भूमा गुजराती को. फर्म लिमिटेड गुजराती स्टेटन कम्पनी भूखण्ड संख्या एफ-43 औद्योगिक क्षेत्र इण्डोवला, रामगजमण्डी, जिला कोटा द्वारा इस भूखण्ड की दिनांक 26.05.1995 को रीको लिमिटेड व मेसर्स गुजराती स्टेटन कम्पनी के मध्य निष्पादित व दिनांक 26.05.1995 को पंजीकृत मूल लीजहोड ड्यू हो जाने के कारण भूखण्ड की सन्तोषिणी लीजहोड करने बावन्त इस कार्यालय में आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूखण्ड संख्या एफ-43 औद्योगिक क्षेत्र कुवायाम, रामगजमण्डी, जिला कोटा का आवंटन दिनांक 19.02.1985 को मेसर्स गुजराती स्टेटन कम्पनी भागीदार श्री नारायणगुजराती व श्री भारत भूमा गुजराती के मध्य निष्पादित व दिनांक 26.05.1995 को निष्पादित दिनांक 28.03.1985 को रीको लिमिटेड व मेसर्स गुजराती स्टेटन कम्पनी के मध्य निष्पादित व दिनांक 26.05.1995 को पंजीकृत मूल लीजहोड ड्यू हो जाने के कारण भूखण्ड की सन्तोषिणी लीजहोड करने बावन्त इस कार्यालय में आवेदन किया गया है।	
इस भूखण्ड संख्या-के-36 (एन.डी.) श्री. के. इन्द्रप्रस्थ, कोटर के लीजहोडर रॉड्दस श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा रीको कार्यालय में पेश दस्तावेज यथा दिनांक 23.10.2020 को निष्पादित पंजीकृत वसतिग नमाना, भूयु प्रमाण पत्र, शायप पत्र, बतिपुर्ति वचपत्र आदि दस्तावेजों को आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह के पक्ष में हस्तान्तरण की अंतिम कार्यवाही अमल में लाते जाने के पूर्व इस आम सूचना के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति / फर्म अपना सरकार / अर्द्ध सरकार संस्थाओं अथवा विरिय संस्थान को भूखण्ड संख्या के-36 (एन.डी.) श्री. के. इन्द्रप्रस्थ, कोटा के हस्तान्तरण के संबंध में किसी प्रकार की यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरता के कार्यालय में मय दस्तावेजों समूल के साथ व्यक्ति: उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। कृपया धितर रहे कि यदि मई मिनिय निरकलेने के पश्चात प्राप्त हुई किसी भी शिकायत / आपत्ति पर नगर निगम या जेरोन का निर्णय आगे निर्णयप्राप्त प्राप्त उपरोक्त अंकित आवेदन पत्र / दस्तावेजों पर इस कार्यालय द्वारा निर्णयप्राप्त भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।	
वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, कोटा	

कोटा, (निसं)। सिंधु समाज कल्याण समिति द्वारा दादा नारायणदास मदनानी सेवा संस्थान कोटा के सहयोग से सुंदरी मदनानी की पुण्य तिथि पर निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सिंधु हॉस्पिटल में आयोजित किया गया।

सिंधु हॉस्पिटल के संरक्षक एवं संस्थान के अध्यक्ष किशोर मदनानी एवं सचिव प्रकाश वीर नाथानी ने बताया कि शिविर सिंधु हॉस्पिटल, डॉक्टर विनय ग्वालानी (अस्थि रोग विशेषज्ञ), डॉक्टर मुस्ताफा बोहरा (जनरल फिजिशियन), डॉ. अब्दुल रब (जनरल सर्जन), डॉक्टर संगीता जैन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ), और डॉक्टर मनाल शेख (मनोरोग), नया मुक्ति एवं सेक्सोलॉजिस्ट) अपनी सेवाएं निशुल्क

दा। हॉस्पिटल के अध्यक्ष अशोक झमटानी एवं सचिव निरंजन मेहबूबानी ने बताया इस शिविर में लिपिड प्रोफाइल, अस्थि घनत्व (बीएमडी), ब्लड शुगर, होमोग्लोबिन, यूरिक एसिड स्पायरामेट्री (दमा), न्यूरोपैथी (नर्सों की जांच) की जांचें निशुल्क की गईं। साथ ही शिविर

शिविर में मुरली धर अल्लरेजा, राम मदनानी, अशोक शर्मा, विमल परायानी, शंकर अम्बानी, राकेश हरसंधानी, संतोष करमचंदानी, रमेश आहुजा,



कोटा में सुंदरी मदनानी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सिंधु हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है।

जगदीश भागवानी, बसंत वलेचा, हरि प्रकाश पंजवानी, उमेश केसवानी, अर्जुन जेसिंधानी, सी.पी. भावनानी, सुनिल भाटिया आदि ने अपनी सेवाएं दी।

गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण के दो गुर्गे फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार

10 जुलाई को विदेशी हथियारों और कारतूसों सहित गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भिजवाया था

सादुलपुर, (निंस्)। स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गिरोह के दो गुर्गों को फर्जी पासपोर्ट मामले में प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि प्रकरण की जांच कर रहे एसआई धर्मेन्द्र सिंह ने मामले में जेल में बंद आरोपी देवकरण उर्फ देवा (३0) पुत्र वीरू राम जाट निवासी लालासर पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू, आरोपी विजय सिंह पुत्र जसवंत सिंह राजपूत (29) निवासी घण्टेल पुलिस थाना सदर जिला चूरू को फर्जी पासपोर्ट मामले में प्रोडक्शन वारंट पर पुनः गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड के बाद पूछताछ कर दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि 10 जुलाई को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके के कब्जे से फर्जी पासपोर्ट तथा दो विदेशी हथियार और नौ जिंदा



फर्जी पासपोर्ट मामले में राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी देवकरण उर्फ देवा व विजय सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर पुनः गिरफ्तार किया।

कारतूस बरामद किये थे। उन्होंने बताया कि पूछताछ कर दोनों आरोपियों को आम्स एक्ट के अंतर्गत जेल भिजवा दिया था तथा फर्जी

पासपोर्ट मामले में पूछताछ के लिए पुनः गिरफ्तार कर दो दिन का पुलिस रिमांड में पूछताछ कर दोनों को जेल भिजवा दिया है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी चूरू सदर और कोतवाली के हिस्ट्रीशिटर हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को देर शाम को पुलिस ने

■ दोनों आरोपी वर्तमान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में थे

आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध विदेशी यूएस मेड पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस तथा कब्जे से एक विदेशी यू एस मेड पिस्टल और सात जिंदा कारतूस सहित फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए थे। जिनके संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। गिरफ्तार आरोपी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के सदस्य है। दोनों आरोपी वर्तमान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में थे। आरोपियों के खिलाफ महिला थाना चूरू, कोतवाली चूरू, सदर चूरू दुधवाखारा, बिसाऊ, झुंझुनू में आपराधिक मामले दर्ज है।

प्रतापगढ़ के कई गांवों में तेज पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति कंपन हुआ, लोगों में भय की हत्या की, दोनों गिरफ्तार

उदयपुर, (निंस्)। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बुधवार की देर रात को अचानक तेज कंपन और धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। धमतार, कुलमीपुरा, टांडा और बेोरी सहित कई गांवों में झटके महसूस किए गए, जिससे लोग भयभीत होकर घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के अनुसार कंपन करीब चार सेकंड तक चला और उससे ठीक पहले जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी।

घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है और सोशल मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुपों पर लोगों ने इसे भूकंप का झटका बताया हुए सूचना साझा की। हालांकि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक किसी भूकंप की पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने घटना

■ ग्रामीणों के अनुसार कंपन करीब चार सेकंड तक चला, ठीक पहले विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी

को गंभीरता से लेते हुए वास्तविक कारणों की जांच के लिए टीमें भेज दी हैं। जानकारों का मानना है कि यह संभवतः हल्के स्तर के भूकंपीय झटके हो सकते हैं। कुछ ग्रामीणों और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि कंपन से ठीक पहले एक तेज विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। क्योंकि आइतार पर भूकंप के समय ऐसा विस्फोट जैसी आवाज कम सुनाई देती है, हालांकि कुछ मामलों में तेज ध्वनि या गड़गड़ाहट संभव है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि कुछ मामलों में भूकंप के दौरान धमाके जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। ऐसी आवाज उस समय उत्पन्न होती है जब पृथ्वी के

भीतर चट्टानें टूटती हैं या खिसकती हैं। इससे उत्पन्न ऊर्जा कुछ क्षेत्रों में ध्वनि तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। भूकंप का केंद्र सतह के करीब हो धरती की सतह कटोर और चट्टानी हो और वातावरण शांत हो। ऐसे में कंपन के साथ साथ तेज आवाज या धमाका महसूस हो सकता है।

कलेक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच टीमों को भेजा और कहा है कि प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से सीसीटीवी फुटेज व वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जांच कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अफवाहों से दूर रहें।

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर शराब में किटनाशक पदार्थ मिलाकर हत्या कर दी थी

मदनगंज-किशनगढ़, (निंस्)। किशनगढ़ सिटी थाना अंतर्गत गांव मुंडोलाव में ढाई वर्ष पूर्व पति की हत्या कर फरारी काट रही पत्नी सहित प्रेमी को धरदबोया।

थाना प्रभारी भीखाराम काला ने बताया कि 3 अगस्त 2024 को गांव मुंडोलाव निवासी पांचुलाल रेगर ने मामला दर्ज कराया था कि पुत्रवधु पिंकी रेगर (३2) ने गांव के ही प्रेमी हरिप्रसाद रेगर उर्फ हरि (३0) को साथ लेकर मेरे पुत्र सुरेश कुमार की शराब में किटनाशक पदार्थ मिलाकर हत्या कर दी। शक्तिर आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिये साजिश रची, किंतु सच्चाई सामने आ ही गई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिये ढाई साल से निरंतर संभावित ठिकानों पर दबिश दी, पर इनका कोई सुराग नहीं लग पाया। इस बीच मुखबिर की इतला पर पिंकी व इसके प्रेमी हरि रेगर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। शुरूआती पूछताछ के दौरान कातिलों ने गुनाह करने से साफ इंकार कर दिया,



गांव मुंडोलाव में ढाई वर्ष पूर्व पति की हत्या कर फरारी काट रही पत्नी सहित प्रेमी को गिरफ्तार किया।

लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद हत्याकांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली। हत्याकांड के खुलासे में पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण उमेश कुमार गौतम,

तीन वाहनों की टक्कर में एक बालक की मौत, आठ घायल

- दो ट्रकों के बीच फंसी गई थी टक्करा कार, टक्कर के बाद कार अंदर से लॉक हो गई, जिससे बचाव कार्य में कठिनाई आई
- इंगरपुर के बोहरा समुदाय के एक ही परिवार के लोग गुजरात के मेहसाणा में दरगाह जियारत करने जा रहे थे

ट्रक में फंस गई। कार अंदर से लॉक हो गई, जिससे बचाव कार्य में कठिनाई आई। घायलों को त्रेन की मदद से कार से निकाला गया। हादसे में 11 वर्षीय मोहम्मद हुसैन की मौत हो गई और हुसैना पत्नी जाकिर हुसैन नाहरवाल, नफीसा पत्नी हुसैन, उनके बेटे अल्फिया पत्नी खोजेमा नाहरवाला, अल्फिया पत्नी मुस्तफा, रशीदा खेरवाडावाला,

नफीसा और जांबिया होजेमा नाहरवाला घायल हो गई। सभी घायलों को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेहसाणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही इंगरपुर के बोहरा समुदाय के लोग गुजरात के लिए रवाना हो गए।

पानी में डूबा युवक, तलाश जारी

जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को धारोला निवासी रमेश मोणा जो गांव से करीब आधा किमी दूर श्मशान की ओर कचोलाई नाडी में नहाने गया था, वापस नहीं आने पर परिजनो ने उसे तलाशा। इस दौरान वह तालाब पर नहीं मिला, लेकिन उसकी चप्पलें, मोबाइल और कपड़े तालाब के बाहर मिले।

युवक के तालाब में डूबने की आशंका पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर दूनी थाना पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे तथा एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया, जहां टीम ने रेस्क्यू कार्य प्रारम्भ कर युवक को तालाब में तलाशा जा रहा है। देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं लगा है।

संदिग्ध हालत में युवक की मौत

श्रीगंगानगर, (निंस्)। जिले के मलकाना खुर्द गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक लंबे समय से नशे का आदी था।

युवक की मां परमजीत कौर ने बताया कि नवजोत (25) कुछ समय से एक महिला के साथ रिलेशन में था। वह 1३-एच ठंडा क्षेत्र में रह रहा था और मजदूरी का काम करता था। घटना के दिन वह गांव के ही करनी सिंह के साथ खेतों में मजदूरी करने गया था। जानकारी के अनुसार नवजोत पहले भी नशे की लत के कारण गंभीर समस्याओं से जुझ चुका था। एक बार नशे का इंजेक्शन लगाने के कारण उसके हाथ को काटना पड़ा था। उसके बड़े भाई लड्डू

■ महिला के साथ रिलेशन में था युवक, लंबे समय से नशे का आदी था

सिंह की भी पहले नशे के कारण मौत हो चुकी है। घटना वाले दिन नवजोत बेहोशी की हालत में बस स्टैंड पर मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे हेड कॉन्स्टेबल चैन सिंह ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनो को सौंप दिया है। युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला व किशोरी ने आत्महत्या की

उदयपुर, (निंस्)। शहर के नाई थाना क्षेत्र में महिला एवं किशोरी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाई थाना क्षेत्र कालीवास बखेडी फला निवासी भावना (३5) पत्नी बाबूलाल गमेती ने 22 जुलाई को अपने मकान में फांसी लगा ली। इसकी सूचना मिलने पर एएसआई पर्वतसिंह ने पीहर काया से परिजनों को बुलवा मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनो को सौंपा। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसी तरह नाई थाना क्षेत्र पई गांव निवासी गुड्डि (17) पुत्री राजमल भील

■ आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया

ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। जिसकी तबीयत खराब होने पर परिजनो ने उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती कवाया, जहां उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ललित नागदा ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनो को सौंपा। गुड्डी नवीं कक्षा में फेल हुई थी। गत दिनों एडमिशन कराने के बाद स्कूल नहीं जाने पर बुधवार को पिता ने एतराज किया था।

बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

श्रीगंगानगर, (निंस्)। श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथमदृष्टया मामला लूट के बाद गला घोटकर हत्या का प्रतीत हो रहा है। महिला वार्ड संख्या 8 स्थित 7 नंबर स्कूल के पास अपने घर में अकेली थी। जानकारी के अनुसार घटना के समय परिवार के तीन सदस्य किसी कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। घर लौटने पर परिजनो ने प्रोपटी देवी को अचेत अवस्था में पाया, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की सूचना गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुरानी आबादी थाना प्रभारी ज्योति अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घर से करीब 15 हजार रुपय नकद, एक सोने का लॉकेट और अन्य आभूषण गायब हैं, जिससे लूट की पुष्टि संभावित हो रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

- प्रथमदृष्टया मामला लूट के बाद गला घोटकर हत्या का प्रतीत हो रहा है, महिला घर में अकेली थी
- प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घर से करीब 15 हजार रुपए नकद, एक सोने का लॉकेट और अन्य आभूषण गायब हैं

के लिए राजकीय चिकित्सालय की मॉर्च्युरी में रखवाया है। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार घटना संभवतया दोपहर के किसी समय की हो सकती है, जब मोहल्ले में सत्राटा था।

दो ट्रक यूनियनों के बीच चल रहा विवाद हिंसक हुआ

श्रीगंगानगर, (निंस्)। श्रीविजयनगर में दो ट्रक यूनियनों के बीच चल रहा विवाद हिंसक हो गया। नई धान मंडी में दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई। श्रीविजयनगर में दो ट्रक यूनियन कार्यरत हैं। धान मंडी के बाहर स्थित यूनियन का संचालन प्यारा सिंह करते हैं। नई धान मंडी में स्थित दूसरी यूनियन के संचालक प्रेम खख है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धंवरलाल के अनुसार आज प्यारा सिंह की यूनियन के लोग नई धान मंडी में पहुंचे। वहां दूसरे पक्ष के लोगों से उनकी मारपीट हो गई। दोनों गुटों के बीच लाठी-डंडे चले। इस दौरान एक खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। किसी व्यक्ति ने दूर से हवा में फायरिंग भी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति और उसकी गाड़ी की पहचान कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही

■ धानमंडी में मारपीट और हवाई फायरिंग, 15 लोग हिरासत में, पुलिस ने नाकाबंदी करवाई

गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेवर व नकदी चोरी : उदयपुर के गोमुन्दा कस्बे में स्थित सुने मकान से चोर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। अन्यत्र घासा थाना क्षेत्र में सूने मकान से चोर जेवर व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाल्टु पुत्र वजा मेघवाल निवासी रावल्या कला गोमुन्दा ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 22 जुलाई रात में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़ कर चांदी की पायल, 2 ब्रांकर, 20 हजार रुपये नकदी चुरा ले गए। इसका पता चलने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया।

जोधपुर, (कासं)। औद्योगिक इकाइयों व सीवेज के प्रदूषित पानी के भराव से परेशान डोली गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को नेशनल हाइवे 25 जाम कर दिया। श्मशान घाट में पानी भर जाने के कारण अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने एक किशोर के शव को हाइवे पर रख दिया। इससे दोनों तरफ आने-जाने वाले वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। ग्रामीणों का कहना था कि प्रदूषित पानी से कई सालों से परेशान हैं। बारिश के समय यह पानी ज्यादा होने की वजह से पूरा भर जाता है।

जानकारी के अनुसार जोधपुर की

फैक्ट्रियों से रसायनिक पानी बहकर बालोतरा जिले के डोली, अराबा गांव सहित आसपास के इलाकों में पहुंच जाता है। इससे पूरा गांव दूबा हुआ है। अराबा स्कूल में पूरा पानी भरा हुआ है। इससे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। इसको लेकर स्कूल के टीचरों ने शिक्षा विभाग व प्रशासन को भी अवगत करवा दिया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि डोली गांव

निवासी भैराराम (16) पुत्र रामाराम मानसिक बीमारी से ग्रसित था। मथुरादास हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गुरुवार को हम तोड़ दिया। वहां से गांव लेकर आए। अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन श्मशान घाट में प्रदूषित पानी भरा हुआ है। इस कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने शव को नेशनल हाइवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

विधान सभा में कारगिल वीरांगनाओं का सम्मान किया

कारगिल शौर्य वाटिका में शहीदों की याद में लगाये पौधे

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा का यह लोकतंत्र का पावन स्थल अब वीर शहीदों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र प्रेरणा का तीर्थ भी बन गया है। अब यहां से वीरता की गुंज भी निकलेगी। देवनानी ने कहा कि जय हिन्द हमारे लिए गर्व का घोष है। राष्ट्र की रक्षा में अपने परिजनों को समर्पित करने वाली वीरांगनाएं समाज के लिए हाडी रानी हैं। इनके ऋण को तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनकी स्मृति को बनाये रखने और वीरांगनाओं का सम्मान करने का दायित्व हम सभी को मिलकर निभाना है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी गुरुवार को राजस्थान विधान सभा में कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर देवनानी ने 21 वीरांगनाओं का शॉल ओढाकर और स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मान किया। देवनानी ने इस अवसर पर विधान सभा परिसर में शहीदों को शहादत की अमिट स्मृति के लिए बनाई गई कारगिल शौर्य



देवनानी (बीच में) ने विधान सभा परिसर में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका का पट्टिका अनवारण कर उद्घाटन किया।

वाटिका का पट्टिका अनवारण कर उद्घाटन किया। देवनानी ने कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं के साथ सिंदूर का पौधा रोपा। विधान सभा में हरियाली अमावस्या पर आयोजित इस राष्ट्रभक्ति समारोह के तहत राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण ने भी वीरांगनाओं के साथ वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इण्डिया, किसना फाइकस और क्रोटीन प्रजाति के एक हजार एक सौ पौधे लगाए। देवनानी ने कहा कि विधानसभा परिसर में निर्मित यह वाटिका प्रत्येक जनप्रतिनिधि को

किसी क़ानून पर हस्ताक्षर करते समय याद दिलाएगी कि वीर शहीदों के कारण ही राष्ट्र और संविधान की रक्षा संभव है।

उन्होंने कहा कि सीमाओं पर लड़ा गया कारगिल युद्ध आत्मबल, राष्ट्रभक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहां के कण-कण में शौर्य गुंजता है। हम हाडी रानी के वंशज हैं जिन्होंने अपने वीर पति को युद्ध भूमि में अपना कटा शीश भेज दिया था। हमस्त वीरांगनायें हमारे लिये हाडी रानी ही है।सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन

■ देवनानी ने कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं के साथ सिंदूर का पौधा रोपा

राठौड ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण और वीरांगनाओं का सम्मान के लिए विधान सभा अध्यक्ष देवनानी की सोच सम्मानीय है।

उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के सम्मान की जिम्मेदारी हम सभी की है। विशेषकर जिस गांव में वीरांगना निवास कर रही है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। राठौड ने कहा कि कारगिल अनोखा युद्ध था। इस युद्ध में भारतीय सेना का विपरित परिस्थितियों में विजयी होना अभूतपूर्व है। शौर्य वाटिका का निर्माण अभूतपूर्व पहल- वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में शौर्य वाटिका का निर्माण अभूतपूर्व पहल है। यह वाटिका प्रकृति संरक्षण में योगदान के साथ-साथ शहीदों की स्मृति का पावन स्थल भी बन गई है।

बैठक आयोजित “लहरिया उत्सव” का रंगारंग आयोजन छह अगस्त को

जयपुर । सरकार के आदेशों की अनुपालना में गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली, समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समींकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार तथा झावर सिंह खरा द्वारा इस बैठक में पुनर्समींकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

“लहरिया उत्सव” का रंगारंग आयोजन छह अगस्त को

जयपुर। नृत्यम फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेविका काजल सैनी के नेतृत्व में इस वर्ष का "लहरिया उत्सव" बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाएगा । यह सांस्कृतिक उत्सव छह अगस्त को स्वेज फार्म स्थित हीरा वैली रिसोर्ट में होगा। जिसमें महिलाओं और युवतियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

नृत्यम फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेविका काजल सैनी ने बताया कि "लहरिया उत्सव" में डांस

प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, फैशन शो और कई अन्य सांस्कृतिक आकर्षण प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित अतिथि गणों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और उन्हें एक रचनात्मक मंच प्रदान करना है। सैनी ने बताया कि इस वर्ष की थीम "लहरिया" रखी गई है, जो राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और सावन की उमंग को दर्शाती है। इस थीम के तहत महिलाएं रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में लहरिया संगीत और गीतों

पर नाचती-झूमती नजर आएंगी, जो कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम से पूर्व सभी प्रतिभागियों को पांच दिवसीय डांस ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके माध्यम से वे अपनी प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना सकेगीं। यह प्रशिक्षण छह अगस्त को मंचित होने वाली प्रस्तुतियों का हिस्सा होगा।

काजल सैनी ने बताया कि "सावन सिर्फ ऋतु नहीं, एक उत्सव है भावनाओं का, रचनात्मकता का और नारी शक्ति के उत्साह का।

कृत्रिम गर्भाधान में पिछड़े 10 जिलों के लिये योजना बनाई

जयपुर। गर्भाधान में पिछड़े राजस्थान के 10 जिलों के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष योजना बनाई है। इसके तहत केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे प्रस्ताव को लेकर राजस्थान सरकार के

पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से भेंट की। कुमावत ने केंद्रीय मंत्री को राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी हलयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित मांगों उनके समक्ष प्रस्तुत की।

जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य के 10 जिलों – बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, टोंक, राजसमन्द, पाली, त

■ उन्नत नस्ल सुधार के लिए राजस्थान को मिलेगी ब्राजील नसल के सांड के सीमन की डोज

प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज 10 प्रतिशत से कम है इनमें एआई हेतु आवश्यक संसाधनों के स्ट्रेंगथेनिंग के लिए एक विशेष परियोजना भारत सरकार को राशि 40 करोड़ की स्वीकृति हेतु भेजी गई है । इसकी स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

कुमावत ने बताया कि गिर गाय में उन्नत नस्ल सुधार के तहत राजस्थान को गिर गाय में एआई के लिए केंद्र सरकार से 2380 डोजेज की माँग की गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को प्रस्ताव सौंपा गया है । उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान को ब्राजील नसल के सांड का सीमन गिर गाय को लगाया जाएगा। इससे गिर गाय के दूध की मात्रा बढ़कर 40 से 50 लीटर तक हो जाएगी।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पाली लोकसभा से सांसद एवं वन नेशन, वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति () के चेयरमैन पी. पी. चौधरी से भी शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर कुमावत ने उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती पुस्तिका भी केंद्रीय मंत्री को भेंट की। कुमावत ने पी. पी. चौधरी से पाली लोकसभा सहित राजस्थान से जुड़े विभिन्न जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा की । मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बीकानेर हाउस में 30 जुलाई तक चलने वाले तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया। इस दौरान कुमावत ने कहा कि राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेले मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं।

आर.यू.एच.एस. को रिम्स के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर ने आरयूएचएस परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

खींवरसर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने अधिकारियों से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों को शीघ्रता से जारी करवाने और निविदा प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिम्स का विकास जयपुर सहित पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शोध के नए द्धार खोलेगा।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ कर सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार, दूसरा

सेवानिवृत्त महिला व्याख्याता को 3.5 वर्ष का बकाया वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा

राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कृष्णा जैन, पूर्व व्याख्याता (राजनैति विज्ञान), मीरा गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ को जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक का बकाया वेतन तथा समस्त सेवानिवृत्ति लाभ तीन माह की अवधि में अदा करे। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया।

याचिकाकर्ता डॉ. कृष्णा जैन की ओर से अधिवक्ता सार्धक रस्तोगी ने पेरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता आदित्य सिंह उपस्थित हुए। याचिका में यह कहा गया था कि

60 लाख की मादक पदार्थ स्मैक सहित तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने मुहाना थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 256 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित परिवहन में प्रयुक्त एक बिना नम्बरी बाइक भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपित तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) रियाल सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने मुहाना थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले प्रिंस मालावत (19) निवासी डिगंगी जिला टोंक हाल मुहाना जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तलाशी में उसके पास 256 ग्राम स्मैक मिली है।

डॉ. जैन को वर्ष 1983 में मीरा गर्ल्स कॉलेज में नियमित चयन के आधार पर व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया गया था, जो उस समय एक अनुदानित महाविद्यालय था और राज्य सरकार से 70प्रतिशत अनुदान प्राप्त करता था।

वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने इस कॉलेज को अधिगृहित कर इसके प्रबंधन, चल-अचल संपत्तियाँ एवं समस्त दायित्व अपने अधीन ले लिए। हालांकि, बाद में इस अधिग्रहण को निरस्त करने का प्रयास किया गया, जिसे न्यायालय ने अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हो गईं, किंतु उन्हें दिसंबर

2015 के बाद का वेतन, पेंशन, ग्रेज्युटी, लीव एनकैशमेंट, वेतन पुनर्निर्धारण, चयन वेतनमान आदि आज तक नहीं दिए गए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि एक बार जब राज्य सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस अधिग्रहण को वैध ठहरा दिया गया, तो उस संस्था के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी भी सरकार की ही मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक स्वीकृत एवं अनुदानित पद पर कार्यरत थीं, और उनकी सेवा 2013 के आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा मानी गई थी। इसलिए राज्य सरकार उन्हें उनके सेवानिवृत्ति तक की समस्त देनदारियों के भुगतान की

जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकती। यदि राज्य सरकार यह मानती है कि कॉलेज का प्रभावी अधिग्रहण 2020 में हुआ, तब भी कम-से-कम 70 प्रतिशत देनदारी तो उसकी बनती ही है और शेष 30 प्रतिशत वह कॉलेज प्रबंधन समिति से वसूल सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2019 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण, चयन वेतनमान और सभी संशोधित वेतनमान के लाभा। इस अवधि के उपरांत भुगतान न होने पर बकाया वेतन पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा सेवानिवृत्ति लाभों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

जयपुर। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की।

कुमावत ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से भेंट कर उन्हें राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं

■ बीकानेर हाउस में तीज मेले का भी किया अवलोकन

नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग

पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर लाठी-डंडों से हमला

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर लाठी-डंडों से हमला करना का मामला सामने आया है। जो पहले पंप पर लूट की वारदात कर चुके थे। कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया तो मौके से चले गए। फिर पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। नकदी और सामान लूटकर भाग गए। हमले में सिक्नोरिटी गार्ड घायल हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर कार सवार हमलावरों की तलाश कर रही है।

थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि दिल्ली-अजमेर हाईवे पर चंदवाजी स्थित बीलपेट में पेट्रोल पम्प पर वारदात हुई। बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि तीन लड़के कार में डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पम्प पर आए थे।

पेट्रोल पम्प पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया। करीब 15-20 दिन पहले बिना पेटेंट किए डीजल भरवाकर भागने की बात बताई। कार सवार लड़के झगड़ा कर धमकी देकर मौके से फरार हो गए। कार से उतरे चार-पांच लड़कों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

सहकारिता मंत्री ने की सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों पर प्रीमियम का भार कम आए और उनके दावों का निस्तारण आसानी से हो सके।

दक गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्षों में यह देखा गया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर होता है। बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को किये जाने वाले दावों के भुगतान की राशि वसूले जाने वाले प्रीमियम की राशि की तुलना में बहुत कम होती है। अधिक प्रीमियम राशि के कारण किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा कम्पनियों की मनमानी से बचाने तथा उन्हें आर्थिक राहत दिलाने के लिए एरिस्क रिलीफ फंड बनाया जाए।

ए.सी.बी. डीजी और प्रमुख खाद्य सचिव से मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पर जांच की स्वीकृति नहीं देने से जुड़े मामले में एसीबी के डीजी और प्रमुख खाद्य सचिव सचिव अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पब्लिक ऑफ्ट करप्शन की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता टीएन शर्मा ने 7 सितंबर, 2021 को एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया था कि खाद्य विभाग ने पीओएस मशीनों की खरीद व रखरखाव के लिए 135 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए। शिकायत में दो फर्मों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया कि एसीबी ने शिकायत दर्ज कर धारा 17ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए विभाग से स्वीकृति मांगी, लेकिन विभाग ने स्वीकृति नहीं दी। याचिका में कहा गया कि टेंडर लेने वाली फर्म में चीनी माल सप्लाई किया है और टेंडर की शर्तों की अवहेलना की गई। टेंडर शर्त के अनुसार पीओएस मशीनों की देखरेख के लिए फर्म को हर ब्लॉक व जिला स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी थी,

■ जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पब्लिक ऑफेंस्ट करप्शन की याचिका पर दिए
■ शिकायत में दो फर्मों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल करने का आरोप लगाया

लेकिन फर्म ने कोई नियुक्ति भी नहीं की। इसके बावजूद भी मिलीभगत और षडयंत्र के तहत राज्य सरकार की ओर से इन दोनों फर्म को नियमित भुगतान किया जाता रहा। याचिकाकर्ता की ओर से एसीबी को कई बार इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन एसीबी ने मामले में कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया कि एसीबी को जांच की स्वीकृति के लिए विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद भी स्वीकृति नहीं मिलने का बहाना बनाकर मामले से परला झाड़ लिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों के जवाब तलब किया है।

हरियालो राजस्थान अभियान में 27 जुलाई को हेरिटेज निगम 1.5 0 लाख पौधे लगाएगा

जयपुर। हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर तीज महोत्सव पर हेरिटेज निगम ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 27 जुलाई को हेरिटेज निगम निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कुलडेढ़ लाख पौधे लगाकर तीज महोत्सव मनाएगा।

- हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल की विशेष अपील**
- हेरिटेज निगम के प्रत्येक जोन में लगंगे 30 हजार पौधे लगाए जाएंगे**

इस आयोजन के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने सभी शहरवासियों अपील भी की है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने बताया कि राज्यभर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जाएगा। इसी कड़ी में हेरिटेज निगम की ओर से डेढ़ लाख



आयुक्त निधि पटेल (दांये) ने निगम अधिकारी के साथ बैठक ली।

पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। हेरिटेज निगम के प्रत्येक जोन में लगंगे 30 हजार पौधे लगाए जाएंगे।

आयुक्त निधि पटेल ने इस अभियान में निगम के सभी अधिकारी, स्वच्छता प्रहरी के साथ साथ व्यापार मंडल स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्थान, मोहल्ला विकास समिति,

धार्मिक संगठनों, मीडिया संगठन को जुड़ने की अपील की है। उन्हों ए बताया कि हेरिटेज निगम के सभी पार्क में , शमशान घाट, कब्रिस्तान, गोशाला और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे।

आमजन निगम के पार्क के जाकर प्रकृति की रक्षा के लिए पौधे

लगा सकता है।

अभियान को सफल बनाने के लिए हेरिटेज निगम की ओर से सभी 266 पार्क, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थान, हिंगोनिया गोशाला पौधे रखवाएं का रहे है। 27 जुलाई को अभियान सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगा।



युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी विकास यादव (23) निवासी प्रागपुरा कोटपूतली बहरोड को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल नाबालिग साथी को भी पकड़ा है। लूट व हत्या के प्रयास में शामिल उनके साथी मोनू धनकड़ और जसरज गुर्जर उर्फ जस्सी की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमें फरार साथियों को पकड़ने के लिए दबिश देने के साथ ही पकड़े गए आरोपियों से वारदात में यूज अवैध देसी कट्टे की बरामदगी के प्रयास कर रही है। पुलिस ने वारदातस्थल पर छोड़कर भागी बिना नंबर की स्विफ्ट कार को पहले

ही जब्त कर लिया था। जबड़ गए बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि शौक के लिए लूट की वारदात करने चारों साथी कार लेकर निकले थे। 18 जुलाई की रात करीब 12 बजे गांधी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी युवती से मोबाइल छीन लिया। कार से भागते समय शाहिद के गट्टे वाले बाबा की दरगाह के पास आगे रोड बंद होने पर रुक गए। पीछा कर रहे कार सवार के पकड़ने आने पर देसी कट्टा निकालकर फायर किया।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर व नवनेरा बाँध भरने पर खुशी जताई

उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश से नियमित जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक

और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रचा है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार लगातार दो साल बीसलपुर बाँध पूरा भरा है। इस बाँध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब एक करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

परियोजना के घटक नवनेरा बांध (इटवा, कोटा) का भरना भी जलापूर्ति के साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान सहित सभी वर्गों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश होने से निर्बाध

पानी का स्तर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोल दिया गया, जिससे लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। साथ ही, यह पहली बार है कि लगातार दो वर्ष (2024–2025) बीसलपुर बांध भरा है। गौरतलब है कि यह बांध परियोजना जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले की लगभग एक करोड़ आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

वहीं नवनेरा बांध भी गुरुवार को

पूरा भर गया। इसमें पानी का लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 खोल दिए गए। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में कालीसिंह नदी

कल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सभी को लग रहा है कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना और इस तरह चुनाव को चुराना, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद से फोकस लगातार बिहार और एस आई आर मुद्दे पर बना हुआ है।

विपक्ष रोजाना संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और कल वे गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विपक्ष को आपत्ति है, तो वह चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाए।

अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा और उन तरीकों का विरोध कैसे करेगा, जिनके जरिए संविधान की अनदेखी करके, दिन-दहाड़े चुनावों में सेंध लगाई जा रही है तथा उन्हें प्रभावित किया जा रहा है।

आज निर्णय होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतरिम रोज़े जारी रहनी चाहिए? पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति क्रांत ने कहा, हम कल 10-15 मिनट और लेंगे और मामले को निपटारा कर देंगे।

के आस-पास कुंआं और भूजल के स्तर में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि बांध की कुल भराव क्षमता 226.65 मिलियन क्यूबिक मीटर है एवं बांध की वर्तमान भराव क्षमता 159.87 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई ट्रेन धमाकों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उस याचिका

■ **लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।**

को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराधनियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ई.डी. ने रेड की

यह कार्यवाही अनिल अंबानी की कम्पनियों द्वारा 3000 करोड़ रु. के फर्जीवाड़े को लेकर की गई है

■ **आरोप है, कि अंबानी समूह की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त 3000 करोड़ रु. के ऋण में भारी हैराफेरी की थी।**

मुंबई, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों एवं यस बैंक से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपयों के बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है।

इस छापेमारी को लेकर अनिल अंबानी समूह की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिन रिपोर्टों को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, वे रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े आठ वर्ष से ज्यादा पुराने लेन-देने से संबंधित प्रतीत होती हैं।

ईडी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर जिन शिकायतों के आधार पर छापेमारी की है, वे अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा लोन के दुरुपयोग, रिजर्वतखोरी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

सूत्रों का कहना है कि ईडी को प्राप्त हुई जानकारीयें नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक आफ बड़ौदा आदि से

प्राप्त हुई थीं। ईडी को पता चला है कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी एवं वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने की योजना में शामिल थीं।

कहा जा रहा है कि इसमें 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपयों के ऋण की कथित तौर पर हेराफेरी की गई थी। इस हेराफेरी की कड़ी में, कई मामलों में औपरचारिक मंजूरी मिलने से पहले ही ऋण वितरित कर दिया गया और बैंक में आवेदन जमा होने के दिन ही राशि भी जारी कर दी गई।

इनमें ऋण पानेवाली कुछ कंपनियों की तो वित्तीय स्थिति भी कमजोर थी और उनके पास उचित

दस्तावेजों की भी कमी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लि. (आरएचएफएल) द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद सेबी ने यह जानकारी ईडी के साथ साझा की थी।

ये कॉर्पोरेट लोन 2017-18 के 3,742.60 करोड़ रुपयों से बढ़ कर, 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उछाल किसी लोन डायवर्जन योजना से तो नहीं जुड़ा था।

बता दें कि ईडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार रिलायंस कम्प्यूनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुई है।

गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी पर रिलायंस समूह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमोटर की कुछ निजी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण उन कंपनियों की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे।

फ्री ट्रेड एग्रीमैंट के मार्फत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोबर – अब भारतीय बाजार में आसानी से आ सकेंगे, जबकि भारतीय चाय और कई कृषि उत्पाद ब्रिटिश बाजार में अब अधिक प्रतिस्पर्धा होंगे क्योंकि टैरिफ में कटौती तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

दोनों देशों के विकास की गति और बाजारों की बदलती मांग भविष्य में यह तय करेगी कि कौन कितना लाभ उठाएगा और कौन नहीं।

यह सोचना गलत नहीं होगा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और बढ़ती समृद्धि के चलते भारत में लगजरी कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि ब्रिटेन में भारतीय चाय और कृषि उत्पादों की मांग सीमित ही रहेगी। आखिर कोई देश कारों की तरह तेजी से चाय और सब्जियां तो नहीं खरीद सकता यह बात स्पष्ट है कि भविष्य में ब्रिटेन को उन उत्पादों पर कम शुल्क का फायदा मिलेगा, जिनकी भारत में भारी मांग हो सकती है।

इसका यह मतलब नहीं है कि

भागवत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

100 साल में इस तरह की बैठक कभी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस सद्भावनापूर्ण माहौल में हर मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबकी बातों को धैर्य से सुना, वह काबिले-तारीफ था।

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि सब इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की मुलाकातें हर राज्य में समय-समय पर होती रहनी चाहिए।

इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबेलो और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इश्रेश कुमार भी शामिल हुए।

‘क्या मृत मतदाताओं को भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि हर चुनाव के लिए एक जुटेंडरहित और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।

उन्होंने पूछा, “क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की गई एक शुद्ध मतदाता सूची, निपक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं होती?” उन्होंने आगे कहा, “इन सवालों पर, कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गंभीरता से सोचना होगा।”

मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय आई हैं जब विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) और

कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

कुमार ने उसी संविधान का हवाला दिया, विपक्ष के अनुसार, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुचला जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। चुनाव आयोग को डर है कि अगर मृत लोगों के नाम पर, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम पर, डुप्लीकेट या फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम पर वोट डाले गए, तो चुनाव प्रक्रिया भटक सकती है। इसीलिए यह

समीक्षा बिहार में शुरू की गई है और इसे पूरे देश में ले जाया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा। “क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को सूची से नहीं हटाना चाहिए?” चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, अखिलेश यादव ने अपने मंदिर के वीडियो को पोस्ट करना बेहतर समझा, तथा इस बहाने पहले के सोमवार को सबसे “रामा-श्यामा” भी हो गईं। हालांकि यादव ने हाल ही में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों से पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

चूँकि इटावा का यह मंदिर जिसे ‘केदारेश्वर धाम’ नाम दिया गया है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक, ‘केदारनाथ धाम’ की तर्ज पर बन रहा है, इसलिये उत्तराखंड के संतों और साधुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे ‘सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश’ करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमजोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के

साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तृष्टिकरण के रूप में देखा गया है—खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

आमतौर से ऐसा माना जाता है कि जनता की स्मृति अल्पकालिक होती है और दशकों पुराने विवादों का चुनावी प्रभाव कम हो जाता है, फिर भी हाल ही में संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक ने उनकी ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ नीति की ईमानदारी पर नये सिर से संदेह पैदा कर दिये हैं।

यादव के ‘हिंदुत्व’ ब्रांड के लिये सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो पहले से ही एक शक्तिशाली हिंदुत्व प्रतीक के रूप में स्थापित हैं तथा इस प्रकार, समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश सीमित दिखाई देती है।

नाबालिग का देह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। इस पर वह झोटावाड़ा स्थित अपनी दुकान से घर चला गया। जहां पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे। इसके बाद, शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नौद की गोलियां देकर, परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नौद की गोलियां दीं और शैतान से मिलने उसके यहाँ चली गई।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान, सेवाओं और डिजिटल व्यापार के प्रवाह को फिर से आकार देने वाला एक रणनीतिक सहयोग है।

एफटीए का मूल उद्देश्य है शुल्कों को अभूतपूर्व स्तर पर कम करना। अब भारत से 99 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन में बिना शुल्क के प्रवेश करेंगे, जिससे वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादों और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब है उच्च-मूल्य वाले ब्रिटिश बाजारों तक लगभग त्वरित पहुंच, वह भी पहले जैसी लातत बाधाओं के बिना। कपड़ा उद्योग, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में से एक होगा,

साथ ही भारत के एमएसएमई और समुद्री उत्पाद निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

बदले में, भारत ब्रिटेन से आने वाले 90 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्कों का प्रवेश करेगा, जिससे भारतीय उद्योगिका बाजार में प्रीमियम कारों, दवाओं, स्कॉच व्हिस्की और उच्च गुणवत्ता वाली कार्रकलेट जैसे ब्रिटिश उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। स्कॉच व्हिस्की और जिन जैसी ब्रिटिश वस्तुओं पर वर्तमान में 150 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत और अगले दस वर्षों में 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, ब्रिटिश लज्जरी कारों पर 100 प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगा था, इसे घटाकर मात्रा 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए में आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

यह समझौता छोटे और मध्यम उद्यमों को भी सशक्त बनाता है, जिसमें सरल कस्टम प्रक्रियाएं, 48 घंटे में क्लीयरेंस और डिजिटल व्यापार सुगमता का वादा शामिल है। सीमा-पार डिजिटल व्यापार को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें ई-कॉमर्स ड्यूटी पर रोक, ई-कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी मान्यता और सुरक्षित डेटा प्रवाह के प्रोटोकॉल शामिल हैं।

हालांकि भारत खुलापन अपना रहा है, लेकिन डीज़ल वाहन, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे धीरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, यह संकेत देता है कि भारत घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी कर रहा है।

एफटीए को जुलाई में भारत की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूके की संसद द्वारा भी जल्द ही अनुमोदित किया जाएगा। अगले 9 से

15 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है।

यह समझौता केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक भू-राजनीतिक वक्तव्य है। जब वैश्विक व्यापार साझेदारियों का पुनर्गठन हो रहा है, भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे के भविष्य पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस एफटीए का जोरदार स्वागत किया है और इसे भारत के उभरते व्यापार ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरमैन एक परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल एफटीए दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समझौता व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर

बाजार पहुंच और अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। हम इस व्यापक समझौते का स्वागत करते हैं, जो भारतीय व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है और उच्च स्तर के द्विपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग की नींव रखता है।”

महेंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और एमडी, अनिश शह ने कहा, “भारत और ब्रिटेन के बीच यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल व्यापार की जीत नहीं है, बल्कि एक आधुनिक साझेदारी का खाका है, जिसमें नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को केन्द्र में रखा गया है। जैसे-जैसे भारतीय उद्योग वैश्विक होता जा रहा है, हम इस साझेदारी के अगले अध्याय में सार्थक योगदान देने की

उम्मीद करते हैं।” फिक्की के अध्यक्ष और इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं एमडी, हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, “भारत-यूके एफटीए पर हस्ताक्षर करने के व्यापार ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का पूरक है, जिससे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें, प्रतिस्पर्धा बन सकें और मूल्य श्रृंखलाओं का अधिक प्रभावी तरीके से लाभ उठा सकें। फिक्की इस विकास का स्वागत करता है, जो एक अधिक लचीला और अक्सर प्रधान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक कदम है, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों को लाभ होगा।”